भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
मानव संसाधन विभाग
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

नई दिल्ली 18 मई, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय : कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में दिनांक 18.05.2020 से प्रभावी नए दिशा–निर्देश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम में और गृह मंत्रालय के आदेश सं0 40–3/2020–डीएम1(ए), दिनांक 17.05.2020 के अनुसार सभी कर्मचारियों को निदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों को छोड़कर शेष सभी कर्मचारी दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय में उपस्थित हों :

क) कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी कर्मचारी,

ख) 65 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी, सह–रुग्णता (को–मोर्बिडिटी) वाले कर्मचारी और गर्भवती महिलाएँ।

2. आदेश दिनांक 01.05.2020 के अन्य सभी निर्देश यथावत् रहेंगे।

(रमन खन्ना)
सहायक निदेशक (मानव संसाधन)

सेवा में

1. एफ.एस.एस.ए.एआई मुख्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी – अनुपालन के लिए
2. सभी कार्यकारी निदेशक – इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन को अपने अधीन कर्मचारियों में परिचालित कराएँ।
3. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशालाएँ – इस अनुरोध के साथ कि वे उपयुक्त आदेश जारी करें।
4. सीआईटीओ – इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन से सभी कर्मचारियों को उनके फोन नं0/ई–मेल के माध्यम से ध्यान में लाएँ।
5. सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन) – आवश्यक कार्रवाई के लिए।

प्रतिलिपि :

अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के ओएसडी